न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 91 / 2022 अपील (GCMS 2022/106)

पंजीयन दिनांक– 14 / 11 / 2022

निर्णय दिनांक– 18 / 09 / 2023

1. श्रीमती इन्द्र बाई पुत्री स्व. पेमाजी सुथार, निवासी रकमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर हाल निवासी सवीना बैंक बाली गली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री रेवा शंकर पिता स्व. बोथलाल सुथार, निवासी रकमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह पिता सुंदरलाल बाबेल, निवासी मकान नम्बर 14 महावीर पथ, मोती मगरी स्कीम, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती साधना पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह बाबेल, निवासी मकान नम्बर 14 महावीर पथ, मोती मगरी स्कीम, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि पूरणमल जैन, निवासी मकान नम्बर 17, नाकोडा कॉम्पलेक्स, सेक्टर नम्बर 4, हिरणमगरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, उदयपुर (राज.)
6. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1.	श्री चन्द्र शेखर आमेटा / श्री प्रकाशचन्द्र मेघवाल	अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री सम्पतलाल बोहरा	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3.	श्री प्रकाशचन्द्र जैन	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2, 3
4.	श्री सुरेशपुरी गोस्वामी	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4
5.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5
6.	श्री दिलीप सुथार	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6

अपील अन्तर्गत धारा–90 क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2020-21/100332 दिनांक 07.01.2021

निर्णय

दिनांक 18 / 09 / 2023

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 90क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2020-21/100332 निर्णय दिनांक 07.01.2021 के विरूद्ध स्थगन प्रार्थना एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ के दिनांक 11.11.2022 को इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया की पैतृक, अविभाजित, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम रकमपुरा, पटवार हल्का भोईयों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में है जो संवत् 2027 से 2030 तक की राजस्व जमाबंदी में अपीलार्थीया के दादा स्व. चतरभुज के नाम खातेदार, काश्तकार दर्ज थी जिसके साबिक आराजी नम्बर 103, 104, 106, 110, 113, 114, 119, 134, 190, 322, 107, 116, एवं 117 कुल किता 14 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा है तथा उक्त कृषि भूमि के हाल अराजी नम्बर 904, 905, 919, 998, 999, 1000, 957, 994, 995 958, 990 से 992 कुल किता 13 रकबा 1.9050 हैक्टेयर है। अपीलार्थीया के दादा, पिता, दादी एवं माता की मृत्यु हो जाने पर अपीलार्थीया के दादा स्व. चतरभुज के परिवार के विधिक वारिसान अपीलार्थीया व उसका भाई रेवा शंकर रेस्पोडेंट संख्या 1 है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने चतरभुज व उनके पुत्र स्व. पेमा के मृत्युपरांत उनके विधिक वारिसानों की जांच किये बिना अपीलार्थीया के परोक्ष में सिर्फ रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम पर उक्त कृषि भूमि के विरासत का नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 30.09.1977 को खोल दिया, तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 को विक्रय कर दी तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 ने उक्त कृषि भूमि में से आराजी संख्या 904,

905, 3724/905 एवं 1000 की कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ भू–रूपांतरण करवाये जाने हेतु आवेदन पर रेस्पोडेंट संख्या 6 नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2020-21/100332 से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने की कार्यवाही की जाकर निर्णय दिनांक 07.01.2021 से आदेश जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीया द्वारा यह अपील पेश की गई।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र मेघवाल उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र जैन उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशपुरी गोस्वामी उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप सुथार उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.09.2023 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अपीलार्थीया के दादा चतरभुज व पिता पेमा का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उक्त कृषि भूमि के विरासत को नामांतरकरण अपीलार्थीया के भाई रेवा शंकर ने मिलीभगत कर दादा चतरभुज एवं पिता पेमा का एकमात्र विधिक वारिस बताकर उसका कृषि भूमि का विरासत का नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 30.09.1977 अपने स्वयं के नाम खुलवा लिया है, जबकि अपीलार्थीया अपने पिता स्व. पेमा की जायंदा पुत्री होने से अपीलार्थीया का उक्त भूमि में जन्म से हक व अधिकार है। नामंतरकरण एक फिस्कल एंट्री होती है, जिससे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है कि वह उस

जमीन को किसी अन्य को विक्रय कर दें। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि का विरासत का नामांतरकरण खुलवाने के पश्चात उक्त कृषि भूमि में से आराजी नम्बर 904, 905 3724/905, एवं 1000 की कृषि भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 को विक्रय कर दी है, तत्पश्चात उक्त आराजीयात को आवासीय प्रयोजनार्थ भू–रूपांतरण रेस्पोडेंट संख्या 6 के यहां करवाया जो अपीलार्थीया के उक्त कृषि भूमि में निहित् विधिक अधिकारों के मुकाबलें प्रारंभ से शून्य है। उक्त रूपांतरण बिना मौके की जांच किये अपीलार्थीया को सुने बिना सिर्फ पटवारी रिपोर्ट के आधार पर किया गया अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स द्वारा 1 से 4 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि उक्त अपील के तथ्यों संबंध में जिन अभिवचनों का उल्लेख किया गया है वे सही एवं वास्तविक तथ्यों से परे है, क्योंकि उल्लेखित खसरा सख्या की भूमि स्वयं अपीलार्थीया के कथनानुसार दिनांक 30.09.1977 रेस्पोडेंट के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है। जिसे कि करीब 45 वर्ष से भी ज्यादा की अवधि कालातीत हो चुकी है और उल्लेखित भूमि नोईयत (Nature of Land) वर्षों पूर्व से ही हल्का आबादी दर्ज रूपांतरित हो नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम पृथक–पृथक समय से पृथक–पृथक कार्यवारिहयों के जरिये राजस्व अभिलेखों में पारित किये गये आदेशों की पालना में दर्ज रही है। परिणामस्वरूप अपीलार्थीया का कथन कि उक्त नामांतरकरण कार्यवाही की जानकारी होने पर दिनांक 03.11.2022 को नामांतरकरण, 90–क रूपांतरण कार्यवाही की सत्यप्रति प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई है, सारहिन व मिथ्या कथन है, जिसकी पुष्टि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गई कार्यवाहियों से दस्तावेजीय रूप से ही प्रमाणित है, जिनके अवलोकन मात्र से ही संपूर्ण अपील मिथ्या तथ्यों पर अधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अपनी बहस के

समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2009 (1) Page 330, RBJ 2016 (23) Page 442, RBJ 2016 (22) Page 178 & 328, RRT 2012 (1) Page 442, RBJ 2009 (16) Page 278, RBJ 2010 (17) Page 236, RBJ 2020 (20) Page 258, का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलार्थीया खारिज जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट 05 राजकीय अभिभाष ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायाल नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा दिनांक 07.01.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट 06 ने नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की ओर अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायाल नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा दिनांक 07.01.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपीलार्थीया की अपील खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया निर्णय में पक्षकार नहीं थी व पक्षकार नहीं होने के कारण उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला एवं निर्णय की जानकरी नही होने से इनके द्वारा दिये गये अखण्डित शपथ–पत्र, वर्णित तथ्यों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाती है।

- प्रकरण में अब हम अपीलार्थीया के दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलार्थीया द्वारा अपने आवेदन में यह वर्णित किया है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि के संबंध में आदेश पारित करते समय प्रार्थी को नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही अपीलार्थीया को सुना गया था। तद्नुसार न्यायहित में अपीलार्थीया का दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में वस्तुतः अपीलार्थीया की पैतृक, अविभाजित, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि नराजस्व ग्राम रकमपुरा, पटवार हल्का भोईयों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में स्थित होकर संवत् 2027 से 2030 तक की राजस्व जमाबंदी में उसके दादा स्व. चतरभुज पिता गंगाराम सुथार के नाम खातेदार, काश्तकार दर्ज थी। अपीलार्थीया के दादा, माता व पिता की मृत्यु के उपरांत रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम पर उक्त कृषि भूमि के विरासत का नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 30.09.1977 को खोल दिया, तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 को विक्रय कर दी तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के आवेदन पर रेस्पोडेंट संख्या 6 नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.01.2021 से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की गई, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीया द्वारा यह अपील पेश की गई।

- अपीलार्थीया द्वारा जो प्रमुख आधार लिये गये हैं, वो यह है कि स्व. चतरभुज सुथार के स्वर्गवास के पश्चात् अपील में वर्णित कृषि भूमि का विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थीया के पिता स्व. पेमा का स्वर्गवास हो जाने से स्व. पेमा के नाम पर उक्त कृषि भूमि के विरासत का नामांतरकरण नहीं खुला था तत्पश्चात् रेस्पोडेंट संख्या 1 रेवा शंकर ने मिलीभगत कर एक मात्र विधिक वारिसान बताकर अपील में वर्णित कृषि भूमि का विरासत का नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 30.09.1977 खुलवा लिया गया।

  पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त नामांतरकरण कार्यवाही पंचायत द्वारा पंचायत बैठक में पूर्ण कौरम हो, निर्णित की गई है, जिसकी पुष्टि पंचों द्वारा की गई और उक्त

कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की होकर रेस्पोंडेंट के स्व–विवेक अनुसार इच्छित रूप से निर्णित नहीं होती है, वरन बाद संतुष्टि उक्त नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है। इसके पश्चात भूमि रहन रखी जाकर बैंक से ऋण प्राप्त करना, बाद में भूमि विक्रय करना एंव वर्षो से क्रेतागण रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज होना व मौके पर कब्जा क्रेता का हो सद्भावी क्रेता प्रमाणित है। हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 से पूर्व समस्त विभागीय वैधानिक कार्यवाहयों की पूर्ति प्लान स्वीकृति, अनुमोदन दैनिक समाचार पत्रों में अपत्तियों का आमंत्रण, सूचना पत्र का प्रकाशन किया जाकर चुनौतिग्रस्त आदेश पारित किया गया है। संपूर्ण प्लान जो नगर विकास प्रन्यास द्वारा स्वीकृत किया गया है, पर सडकें, नालिया, बिजली लाईनें आदि विभागीय आदेशों से स्थापित है। ऐसी स्थिति में 45 वर्ष पश्चात् उक्त नामांतरकरण को चुनौति देना तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 एंव 91 के प्रावधानानुसार उक्त अपील प्रस्तुत करना उचित प्रतित नही होता। अतएवं उक्त उज्र समायत योग्य नहीं है।

- अपीलार्थीया का अन्य कथन यह है कि अपील में वर्णित कृषि भूमि का विरासत का उक्त नामांतरकरण सिर्फ रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम पर खोला गया है जो विधि विरूद्ध है, नामांतरकरण सिर्फ फिस्कल एंट्री होती है, जिससे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है कि वह उस जमीन को किसी अन्य को विक्रय कर दे। अपीलार्थीया का उक्त जमीन में जन्म से ही अधिकार व हक निहित् है। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के अधिकारों का हनन करते हुए उक्त जमीन को अवैध रूप से विक्रय कर दी है।

  उक्त कथन में वर्णित तथ्यों का निस्तारण हस्तगत कार्यवाही से अधिशासित नही होता है क्योंकि हल्का आबादी भूमि में किसी भी पक्षकार का हित क्लेम किया जाता है तो उसके लिये अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के अनुतोष हेतु घोषणात्मक आज्ञप्ति, कब्जेयाबी अनुतोष, निष्पादित दस्तावेजात निरस्तीकरण आदि की कार्यवाहियां

अपेक्षित होती है, जिनकी क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता अनन्य रूप से सिविल न्यायालय में ही निहित है। उल्लेखित भूमि अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया जाना स्वीकृत रूप से स्वीकार किया गया है और निष्पादित विक्रय व्यवहार विलेख की वैधानिकता का परीक्षण हस्तगत कार्यवाही से अपेक्षित नहीं है और इस संबंध में निष्पादित दस्तावेज की निरस्तीकरण की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय में ही निहित है। अतएवं उक्त उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

- अपीलार्थीया का अन्य कथन यह है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि का विरासत का नामांतरकरण अपने नाम पर खुलवाने के पश्चात उक्त कृषि भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 को विक्रय कर दी तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 ने उक्त कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ भू–रूपांतरण रेस्पोडेंट संख्या 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जो अपीलार्थीया के उक्त कृषि भूमि में निहित अधिकारों के मुकाबलें प्रारंभ से शुन्य है।

  अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीया द्वारा मात्र खसरा संख्या 904, 905, 919, 3724/905 एवं 1000 की कृषि भूमि के रूपांतरण को स्वीकार किया जाकर इन्हीं खसरा संख्या के संबंध में कथित पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि उल्लेखित भूमि ही नहीं दिगर खसरे के पट्टा विलेख भी भिन्न–भिन्न समय में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा जारी किये गये है और संपूर्ण भूमि का प्लान भी पूर्व में ही स्वीकृत किया जा चुका है एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 द्वारा पृथक–पृथक समय में वर्षो पूर्व से कई विक्रय पत्रों से भूमि क्रय कर खातेदार रहे है, जिनके द्वारा ही भूमि समपर्ण की गई है तथा भूमि के कई नामांतरकरण पूर्व में ही स्वीकृत हुए है। मौके के फोटो एंव दस्तावेज से कब्जा वर्षो से रेस्पोडेंट का प्रमाणित है। ऐसी दशा में उक्त उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

- अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दिनांक 14.09.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी मय दस्तावेज पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तोवज राजकीय एवं प्रकरण से संबंधित होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय का मत है कि हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 से पूर्व समस्त विभागीय वैधानिक कार्यवाहयों की पूर्ति प्लान स्वीकृति, अनुमोदन दैनिक समाचार पत्रों में अपत्तियों का आमंत्रण, सूचना पत्र का प्रकाशन किया जाकर चुनौतिग्रस्त आदेश पारित किया गया है। संपूर्ण प्लान जो नगर विकास प्रन्यास द्वारा स्वीकृत किया गया है, पर सडकें, नालिया, बिजली लाईनें आदि स्थापित है। ऐसी स्थिति में 45 वर्ष पश्चात् उक्त नामांतरकरण को चुनौति देना तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 एंव 91 के प्रावधानानुसार उक्त अपील प्रस्तुत करना उचित प्रतित नही होता तथा प्ररकण में वर्णित तथ्यों का निस्तारण हस्तगत कार्यवाही से अधिशासित नही होता है क्योंकि हल्का आबादी भूमि में किसी भी पक्षकार का हित क्लेम किया जाता है तो उसके लिये अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के अनुतोष हेतु घोषणात्मक आज्ञप्ति, कब्जेयाबी अनुतोष, निष्पादित दस्तावेजात निरस्तीकरण आदि की कार्यवाहियां अपेक्षित होती है, जिनकी क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता अनन्य रूप से सिविल न्यायालय में ही निहित है। उल्लेखित भूमि अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया जाना स्वीकृत रूप से स्वीकार किया गया है और निष्पादित विक्रय व्यवहार विलेख की वैधानिकता का परीक्षण हस्तगत कार्यवाही से अपेक्षित नहीं है और इस संबंध में निष्पादित दस्तावेज की निरस्तीकरण की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय में ही निहित है। अतः अपीलार्थीया अपील में वर्णित कृषि भूमि में अपने हक एवं अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय से तय कराकर दाद प्राप्त करें।

- उपरोक्त समग्र विवेचन के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है, अतएवं अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के निर्णय दिनांक 07.01.2021 को यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर